विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0028612

मेसर्स एयरटेक इण्डस्ट्रीज, — आवेदक
द्वारा पार्टनर अजीज मोहम्मद,
150 ए एच सेक्टर,
इण्डस्ट्रीयल एरिया भोपाल

विरूद्ध

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा,
भोपाल (म.प्र.) – 462023 — अनावेदकगण

कार्यपालन यंत्री शहर संभाग पूर्व,
म0प्र0मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि0,
निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा,
भोपाल (म.प्र.) – 462023

आदेश

(दिनांक 19.12.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत प्रकरण क्र सी0097011 मेसर्स एयरटेक इण्डस्ट्रीज विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 07.01.12 का पालन अनावेदक द्वारा न किये जाने पर आदेश का पालन करने का निर्देश देने तथा फोरम द्वारा निर्धारित राशि अदा न करने पर ब्याज सहित उक्त राशि को अदा करने और आवेदन पत्र का खर्च दिलाने के लिये यह अभ्यावेदन उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

2. अभ्यावेदन के उत्तर में अनावेदक की ओर से इस आशय की प्रारंभिक आपत्ति की गई है कि उपभोक्ता की शिकायत को सुनने का क्षेत्राधिकार फोरम को नहीं था। भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003

की धारा 126 के विवाद को सुनने का अधिकार फोरम को नही है। इसके अतिरिक्त भी अन्य आपत्तियां भी की गई है तथा विस्तार से अभ्यावेदन का उत्तर देते हुये यह बताया गया है कि फोरम का आदेश क्षेत्राधिकारता के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है। यह आपत्ति भी की गई है कि फोरम के आदेश के विरूद्ध अनावेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई है। अतः रिट याचिका के निराकरण तक कार्यवाही को स्थगित रखा जाये। ऐसी प्रारंभिक आपत्ति अनावेदक कार्यपालन यंत्री द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

3. फोरम को उपभोक्ता की शिकायत सुनने का अधिकार था या नही, इस तथ्य पर यहां विचार नही किया जाना है। फोरम ने यदि उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण कर दिया था और फोरम के ऐसे आदेश से उपभोक्ता व्यथित नही है तब फोरम के आदेश का पालन अनावेदक द्वारा न किये जाने के कारण उपभोक्ता विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा 6 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत नही है, परन्तु भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 5 एवं 6 के प्रावधानों के अनुसार फोरम तथा लोकपाल का गठन किये जाने के कारण इस संदर्भ में विधि के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया जाना वांछित है।

4. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत के उत्पादक और वितरण के लिये पृथक–पृथक कंपनियां स्थापित की गई है। उत्पादन और वितरण के लिये प्राधिकृत कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये केन्द्रीय आयोग तथा राज्य आयोग का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 5 एवं उपधारा 6 के प्रावधानों के अनुसार राज्य आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार वितरण लायसेंसी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिये फोरम की स्थापना की जाती है और इसी प्रयोजन के लिये राज्य आयोग द्वारा विद्युत लोकपाल के रूप में पदाभिहित व्यक्ति की पद स्थापना की जाती है। उपभोक्ता यदि फोरम के आदेश से असन्तुष्ट हो तो उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह फोरम के आदेश के बाद अपनी शिकायत के संदर्भ में अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि फोरम के आदेश से व्यथित होने पर वितरण लायसेंसी को विद्युत लोकपाल के समक्ष या अन्य कहीं अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं दिया गया है। विधि के उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि वितरण लायसेंसी द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के लिये स्थापित फोरम वितरण लायसेंसी का भाग होता है। ऐसा फोरम न्यायालय की परिधि में नही आता है, फोरम के समक्ष शिकायत करने वाला व्यक्ति वितरण लायसेंसी का उपभोक्ता होता है और ऐसे उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने का दायित्व वितरण लायसेंसी पर होता है।

5. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा 5, 6 एवं 7 के प्रावधानों के अनुसार राज्य आयोग अर्थात म0प्र0विद्युत नियामक आयोग द्वारा फोरम तथा लोकपाल की स्थापना के संबंध में समय–समय पर दिशा निर्देश विनिर्दिष्ट किये गये है। म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना)(पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की धारा 2.4 के खण्ड (के) में फोरम को पारिभाषित किया गया है जिसके अनुसार फोरम का गठन प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है। इसी विनियम की धारा 3.4 के अनुसार फोरम में अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुये कुल 3 सदस्य होते है, जिनमें से फोरम के 2 सदस्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके सेवारत अधिकारियों में से आयोग से परापर्श अनुसार नियुक्त किये जाते है। विधि के उक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत फोरम जिसके आदेश का पालन अनावेदक द्वारा नहीं किया जा रहा

है उसका गठन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया है। उक्त फोरम के 3 सदस्यों में से 2 सदस्य अनुज्ञप्तिधारी के सेवारत अधिकारी है तथा फोरम के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में जिस व्यक्ति को पद नाम से अनावेदक के रूप में संयोजित किया गया है वह अनुज्ञप्तिधारी अर्थात वितरण लायसेंसी का सेवारत कर्मचारी है।

6. उपभोक्ता ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित फोरम के समक्ष शिकायत की थी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित उक्त फोरम में उपभोक्ता की शिकायत को सही माना था तथा अनुज्ञप्तिधारी के सेवारत कर्मचारी कार्यपालन यंत्री शहर संभाग पूर्व, भोपाल को उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। परन्तु अनुज्ञप्तिधारी का ऐसा कर्मचारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के निराकरण के लिये गठित फोरम के आदेश की अवज्ञा कर रहा है तथा फोरम के आदेश को इस आधार पर चुनौती दे रहा है कि फोरम को उपभोक्ता की प्रश्नगत शिकायत को सुनने का क्षेत्राधिकार ही नही है। ऐसा कार्यपालन यंत्री यहीं तक सीमित नही रहता अपितु फोरम की उक्त आदेश को वह रिट याचिका प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देता है तथा उपभोक्ता द्वारा फोरम के आदेश का पालन न किये जाने पर इस बात की शिकायत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधिवक्ता के माध्यम से यह जवाब देता है कि फोरम का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है अतः उसे निरस्त किया जाये।

7. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा 5 एवं 6 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि फोरम के आदेश को चुनौती देने का अधिकार विद्युत वितरण कं0 को नहीं है। म0प्र0विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस संबंध में जो विनियम 2009 में बनाये गये है उसके खण्ड 5.3 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि यदि फोरम/विद्युत लोकपाल ने अधिनियम/नियमों/विनियमों टैरिफ आदेशों/संहिताओं/आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के विपरीत आदेश दिये है उस स्थिति में वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा शिकायतकर्ता आदेश के प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर उचित निर्देश प्राप्त करने हेतु आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इस मामले में अनावेदक कार्यपालन यंत्री के मत में यदि फोरम ने ऐसा आदेश पारित किया था जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं था तब वह आयोग के समक्ष उचित निर्देश प्राप्त करने का आवेदन पेश कर सकता था, परन्तु अनावेदक के द्वारा ऐसी कार्यवाही नही की गई थी अपितु माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर एक ऐसा अनावश्यक व्यय का भार कंपनी पर डाला गया था जिसका अंततः भुगतान करने का दायित्व विद्युत के सामान्य उपभोक्ता पर आता है। इस मामले में अनावेदक कार्यपालन यंत्री द्वारा पूरी कार्यवाही इस तरह की जा रही है जैसे उपभोक्ता मामले का वादी हो वह मामले का प्रतिवादी हो तथा फोरम उपभोक्ता के शिकायत का निराकरण करने के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित मंच न होकर एक न्यायालय हो। अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारी, कार्यपालन यंत्री द्वारा की गई ऐसी पूरी कार्यवाही विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। वितरण लायसेंसी के कर्मचारी, अनावेदक कार्यपालन यंत्री का उक्त कृत्य अपने उच्च अधिकारी के आदेश की अवमानना की कोटी में आता है, क्योकि फोरम वितरण लायसेंसी का भाग है तथा फोरम के आदेश के अनुसरण में उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने का दायित्व वितरण लायसेंसी के कर्मचारी पर है।

8. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में जो आदेश दिया था उसका पालन अनुज्ञप्तिधारी कंपनी के कर्मचारी अनावेदक के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के अभ्यावेदन पर पृथक से अन्य कोई आदेश दिये जाने की आवश्यकता नही है। आदेश की प्रति संबंधित फोरम को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाये कि वह अपने आदेश का

पालन एक माह में कराया जाना सुनिश्चित करें तथा यदि अनावेदक द्वारा आदेश का पालन नही किया जाता है तो समुचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

9. आदेश की प्रतियां नियमानुसार पक्षकारों को प्रदान की जाये। प्रकरण नस्तिबद्ध किया जाये। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल